



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग,

नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

संख्या 1316 / ११६ / २३७८.२०१० दिनांक २६/७/१०

सेवा में

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
 2. वरिष्ठ वास्तुविद नियोजक,
 3. समस्त वास्तुविद नियोजक/प्रभारी अधिकारी, - ~~इन्डिरा~~ - 5
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
-

महोदय,

परिषद की 214वीं बैठक दिनांक 27.7.2010 में वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग से संबंधित प्रस्ताव में लिये गये निर्णय निम्नवत् है :-

मद सं०	विषय	निर्णय
214/32	अपराधों का शमन उपविधि-2009 को उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं हेतु अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव।	उ०प्र० शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग की अधिसूचना संख्या 4824/8-3-09-09विविध/09 दिनांक 14.1.2010 तथा शुद्धि पत्र सं० 547/आठ-3- 2010-09 विविध/09 दिनांक 24.2.2010 को अंगीकृत करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

कृपया उपरोक्त निर्णय का अनुपालन यथा शीघ्र कराने का कष्ट करें।

भवदीय

मधुलिका स्रिवास्तव

(सी०पी०शर्मा)

मुख्य वास्तुविद नियोजक

मद संख्या
वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

परिषद हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी

विकास प्राधिकरण अपराधों का शमन उपविधि, 2009, उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 से निर्गत अधिसूचना संख्या 4322 / 8-3-09-09 विविध / 09 दिनांक 14 जनवरी, 2010 द्वारा जारी की गई है। इसके पूर्व विकास प्राधिकरण अपराधों का शमन उपविधि - 1997 थी। आवास आयुक्त, उमोप्रो आवास एवं विकास परिषद, को भी उक्त उपविधि प्रेषित की है।

उन अपराधों का शमन उपविधि - 2009 को उत्तर प्रदेश आवास एवं परिषद की योजनाओं हेतु अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव परिषद द्वारा समक्ष प्रस्तुत है।



(दौड़ीशर्मा)

वास्तुविद नियोजक



(लद्द प्रताप सिंह)

अपर आवास आयुक्त

(एम०वी०एस०रामी रेड्डी)

आवास आयुक्त

उत्तर प्रदेश शासन
आवारा एवं शहरी नियोजन अनुभाग-३
संख्या 4824 / ८-३-०९-०९ विविध / ०९
लखनऊ : दिनांक 14 जनवरी, 2010

अधिसूचना

विकास प्राधिकरण अपराधों का शमन उपविधि, 1997 को अतिक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 रान् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 रान् 1973) की धारा-57 के खण्ड (ख, ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल विकास प्राधिकरण, अपराधों का शमन उपविधि, 2009 राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से अधिनियम की धारा-32 के अधीन अपराधों के शमन हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित करने के लिए निर्मालिखित उपविधि बनाते हैं:-

विकास प्राधिकरण अपराधों का शमन उपविधि, 2009

- | | |
|---|--|
| 1. संक्षिप्त नाम
एवं प्रारम्भ | 1.1 यह उपविधि विकास प्राधिकरण अपराधों का शमन उपविधि, 2009 कही जाएगी। |
| | 1.2 इसका वितार रामपूर्ण विकास क्षेत्र पर होगा। |
| | 1.3 यह उपविधि दिनांक 14.01.2010 से प्रवृत्त होगी। |
| 2. अपराधों का
शमन | 2.1 उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अधीन दण्डनीय किरी भी अपराध की शमन कार्यवाही रास्थित होने से पूर्व अथवा दौरान कार्यवाही उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण अथवा उनके द्वारा धारा-32 के अधीन विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किरी प्राधिकारी द्वारा की जा सकेगी। |
| | 2.2 शमन योग्य निर्माण से सम्बन्धित अपराध का शमन इस प्रतिबन्ध के साथ किया जाएगा कि अशानीय निर्माण से सम्बन्धित अपराध को अभियुक्त आगे गतिगान नहीं रखेगा। तथा अशानीय अवैध निर्माण अथवा विकास कार्य अथवा उपरोक्त शमनीय अपराध का शमन करने के आदेश देने वाले अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो 30 दिन से अधिक न होगी, समाप्त कर देगा, अन्यथा उसके विरुद्ध पुनः अभियोजन एवं धरतीकरण की कार्यवाही हेतु विकास प्राधिकरण स्वतन्त्र होगा। |
| 3. अनुज्ञा देना
अथवा अनुज्ञा
देने से इन्कार
करना | 3.1 अवैध निर्माण अथवा विकास कार्य के शमन की अनुज्ञा देने अथवा अनुज्ञा देने से इन्कार करने में उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निर्गित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी यह रुनिशिवत करेगा कि : |

- 3.1.1 अवैध निर्माण कहाँ किया गया है यथा बेसमेन्ट, सेमी-बेसमेन्ट, भूतल, प्रथग तल या अनुवर्ती तलों पर तथा संलग्न भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा, प्रकाश एवं संवातन व गोपनीयता पर उसका क्या प्रभाव है?
- 3.1.2 क्या बेसमेन्ट का निर्माण अनुगच्छ रीमा रो अधिक किया गया है, यदि हॉ, तो संलग्न सापत्तियों एवं विद्यमान अवस्थापना सुविधाओं पर उसका क्या प्रभाव है?
- 3.1.3 क्या निर्माण की अनुमति इससे पहले अस्वीकार की जा चुकी है, यदि हॉ, तो वर्तमान में शामिल किए जाने का औचित्य?
- 3.1.4 क्या निर्माण विद्यमान बिल्डिंग लाइन के प्रतिकूल है, यदि हॉ, तो उसका क्या प्रभाव है?
- 3.1.5 क्या निर्माण रोड साईड लैपड कन्ट्रोल एक्ट से प्रभावित है, यदि हॉ, तो क्या उसके लिए सकारात्मक अनापत्ति ली गई है?
- 3.2 निम्नलिखित अपराध शमनीय नहीं होंगे:-
- 3.2.1 सार्वजनिक व अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं, रोवाओं एवं सप्तयोगिताओं यथा सड़क, रेलवे लाइन, पार्क, ग्रीनवर्ज, आदि हेतु आरक्षित अथवा उनसे सम्बन्धित भूमि पर किया गया निर्माण।
- 3.2.2 गहायोजना या जोनल लेवलपरमेन्ट प्लान या ले आउट प्लान या लीज गे नियंत्रित भू उपयोग के विपरीत किया गया निर्माण।
- 3.2.3 अवैध भू-उपविभाजन जिसका नियमितीकरण नहीं हुआ है, के अन्तर्गत स्थित भूखण्ड पर अथवा भवन में किया गया निर्माण।
- 3.2.4 सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर बिना सम्बन्धित विभाग की अनुमति से किया गया निर्माण।
- 3.2.5 विवादित भूमि पर किया गया निर्माण।
- 3.2.6 स्टिल फ्लोर तथा पार्किंग हेतु आरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत किया गया निर्माण।
- 3.2.7 भूतल सहित तीन गंगिल रो अधिक अथवा 12 गीटर से ऊचे भवनों तथा 500 वर्ग गीटर से अधिक भू आच्छादनयुक्त अवस्थापना सुविधाओं के भवनों में गूकरपरोधी व्यवस्था के बिना किया गया निर्माण।

- 3.2.8 चार मंजिल से अधिक तल अथवा 15 मीटर एवं अधिक ऊँचाई के भवनों और विशिष्ट भवन यथा शैक्षिक, असेंबली, संस्थागत, औद्योगिक, संग्रहण एवं संकटमय उपयोग वाले भवनों तथा उपर्युक्ता उपयोगों के सिंचित अधिवासों वाले भवनों जिनका भू-आच्छादन 500 वर्गमीटर से अधिक हो, में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि की अपेक्षानुसार अग्निशमन व्यवस्था एवं न्यूनतम निर्धारित सेट-बैक के बिना किया गया निर्माण।
- 3.2.9 पूर्व निर्मित भवनों में ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन/परिवर्धन अथवा पुनर्निर्माण, जिसके फलस्वरूप भू-आच्छादन, एफ.ए.आर., ऊँचाई, रोट बैक, भवन की धूढ़ता, आदि प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हों, में रथानीय अग्निशमन प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना किया गया निर्माण।
- 3.2.10 भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत तलों की संख्या परिवर्तित किए बिना अनुग्रन्थ ऊँचाई का 10 प्रतिशत से अधिक ऊँचाई का निर्माण।
- 3.2.11 भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत निवास-योग्य कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल, न्यूनतम चौड़ाई एवं आन्तरिक ऊँचाई 10 प्रतिशत से अधिक कम होने तथा ऐसे भवनों जिनमें गैकेनिकल वेन्टीलेशन की व्यवस्था नहीं है, प्रकाश एवं संवारन का क्षेत्रफल न्यूनतम निर्धारित मानकों से 10 प्रतिशत से अधिक कम होने पर किया गया निर्माण।
- 3.2.12 हेरिटेज जॉन, संरक्षित स्मारकों तथा नागरिक उड़डयन क्षेत्र अथवा प्रतिबन्धित ऊँचाई के क्षेत्र में भवन की ऊँचाई के उल्लंघन स्वरूप किया गया निर्माण।
- 3.2.13 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में निर्धारित मानकों के अनुसार अपेक्षित पार्किंग व्यवस्था न होने पर किया गया निर्माण।
- 3.2.14 समूह आवास (पुप हाउसिंग) तथा अन्य बहुगिले भवनों में सह-स्वामित्व की भूमि एवं सर्व-सामान्य सेवाओं (कामन सर्विसेज) हेतु आरक्षित हीट्र के अन्तर्गत विद्या गया निर्माण।
- 3.2.15 300 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्डिंग व्यवस्था के बिना किया गया निर्माण।
- 3.2.16 महायोजना/जोगल प्लान/ले-आउट प्लान में चिह्नित अथवा राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब/जलाशय, नदी, नाले, आदि से आच्छादित भूमि पर किया गया निर्माण।
- 3.2.17 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि की अपेक्षानुसार कार्योत्तम भवनों तथा 500 वर्गमीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटिंग रायन्ट्र की स्थापना के बिना किया गया निर्माण।

- 3.2.18 जन-उपयोगी भवनों एवं सार्वजनिक सुविधा स्थलों के अन्तर्गत शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की, सुरक्षा, प्रयोज्यता तथा सुगम्यता हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि की अपेक्षाओं के उल्लंघन स्वरूप किया गया निर्माण।
- 3.3 गानवित्र गे भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार अनुगम्य निर्माण एवं अवैध निर्माण अलग-अलग दर्शाए जाएंगे। 'फन्ट', 'साइड' एवं पीछे के सेट बैक गे अनधिकृत निर्माण। गुरुत्व भवन की निरन्तरता (Contiguity) गे ही शमनीय होगा तथा अनुगम्य भू-आच्छादन एवं तल क्षेत्रफल से अधिक निर्माण गिरावटित रीमा थक-शमनीय होगा :—
- 3.3.1 भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत आवासीय भवनों में फन्ट सेट-बैक के कुल क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत तक परन्तु अधिकतम 1.0 गोटर चौड़ाई तक किया गया निर्माण।
- 3.3.2 भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत आवासीय भवनों में पीछे के सेट-बैक के क्षेत्रफल का अधिकतम 10 प्रतिशत (अनुगम्य 40 प्रतिशत के अतिरिक्त) तक निर्माण।
- 3.3.3 भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत आवासीय भवनों में साइड सेट-बैक में सेट-बैक की चौड़ाई का अधिकतम 25 प्रतिशत तक निर्माण।
- 3.3.4 भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत अन्य भवनों यथा व्यवसायिक, औद्योगिक, कार्यालय, संस्थागत एवं सामुदायिक सुविधाओं, आदि में अनुगम्य भू आच्छादन के अतिरिक्त फन्ट, रियर एवं साइड सेट बैक गे कगशः प्रतेर 3.3.1 से 3.3.3 गे शगन हेतु निर्धारित रीमा से प्रतिबन्धित रहते हुए भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 10 प्रतिशत तक निर्माण।
- 3.3.5 ग्रुप हाउसिंग तथा ब्लूमंजिले व्यवसायिक, कार्यालय एवं संस्थागत भवनों में अग्निशमन सुरक्षा हेतु वांछित न्यूनतम सैट-बैक कम न होने की दशा गे अनुगम्य भू आच्छादन का अधिकतम 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त निर्माण।
- 3.3.6 सभी प्रकृति के भवनों यथा—भूखण्डीय विकास, ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक, कार्यालय, संस्थागत, औद्योगिक एवं अन्य निर्माण के लिए अनुगम्य तल क्षेत्रफल का अधिकतम 10 प्रतिशत तक निर्माण।
- 3.3.7 निर्णीत क्षेत्र, विकसित क्षेत्र तथा नए/अविकसित क्षेत्र गे ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक, कार्यालय तथा सार्वजनिक एवं आर्द्ध-सार्वजनिक/सामुदायिक सुविधाओं के लिए अधिरूचना संख्या 5136/8 3 2008/11विविध/08, दिनांक 25.9.2008 के प्रस्तार-4(3) में गठित समिति की संतुति के आधार पर प्राधिकरण बोर्ड के अनुगोदन से क्य योग्य एफ.ए.आर. की अनुगम्य रीमा तक किया गया निर्माण।

3.3.8 बेसमेन्ट के अन्तर्गत अनुमन्य सीमा से अधिकतम 20 प्रतिशत तक निर्माण।

3.3.9 कम्पाउन्ड-वाल की ऊँचाई अनुमन्य सीमा से अधिकतम 10 प्रतिशत तक निर्माण।

3.3.10 भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत तलों की संख्या परिवर्तित किए बिना अनुगन्य सीमा से अधिकतम 10 प्रतिशत ऊँचाई तक निर्माण।

3.3.11 आवासीय भवनों में अनुगन्य इकाइयों के अतिरिक्त शमनीय इकाइयों की अधिकतम राश्या भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर निम्नवत होगी:-

(क) भूखण्डीय विकास में अधिकतम एक इकाई।

(ख) युप हाउसिंग में शगनीय अतिरिक्त एफ.ए.आर./क्य योग्य एफ.ए.आर. के प्रतिशत के सापेक्ष समानुपातिक इकाईयां।

3.3.12 सभी भू-उपयोगों के भवनों में सम्बन्धित विकास क्षेत्र की प्रभावी महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार 'सामान्यतः अनुमन्य' एवं 'राशतः अनुगन्य' कियाओं/उपयोगों के अनुरूप किया गया निर्माण।

4. शमन शुल्क की अनुसूची

मिन्न-मिन्न प्रकृति के अवैध निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए शमन शुल्क की गणना संलग्न अनुसूची में दी गई दरों के अनुसार होगी।

5. शमन शुल्क की गणना

5.1 यदि किसी गांगले में शगनीय निर्माण एक से अधिक प्रकृति के अवैध निर्माण के अन्तर्गत आता है, तो शगन शुल्क प्रत्येक प्रकृति के अवैध निर्माण के लिए देय शुल्क को जोड़कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक तल हेतु शगन शुल्क की गणना अलग अलग की जाएगी, परन्तु शगनीय भू-आच्छादन हेतु तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) के रूप में अलग से शमन शुल्क देय नहीं होगा।

5.2 अवैध निर्माण के शान हेतु निर्माणकर्ता द्वारा शगन गानवित्र के साथ अनुसूची के अनुसार शमन शुल्क की धनराशि निर्माणकर्ता द्वारा एकमुश्त अथवा ब्याज सहित किश्तों में जैसा प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए, जगा की जाएगी। साथ ही प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अन्य शुल्क तथा अशगनीय भाग के ध्वस्तीकरण हेतु शपथ-पत्र भी जमा किए जाएंगे एवं तदुपरान्त ही मानचित्र शमन की कार्यवाही की जाएगी। शमन शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि जमा होने पर ही शमन मानचित्र निर्गत किया जाएगा। शमन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मानचित्र पर स्वीकृति सम्बन्धी शर्तें अनिवार्य रूप से अंकित की जाएंगी।

6. शमन हेतु प्रस्तुत मानचित्र में प्रदर्शित भवन अथवा उसका कोई भाग जो शमनीय सामान्तर्गत है, ध्वरत नहीं किया जाएगा। परन्तु अशगनीय भाग को विकास प्राधिकरण द्वारा विधि अनुसार ध्वरत किए जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

7. मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त शमन किए गए भाग के सम्बन्ध में उ. प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27 के अधीन कार्यवाही समाप्त हो जाएगी; यदि शमन किए गए भाग के ध्वर्तीकरण का आदेश पारित किया गया हो, तो वह समाप्त माना जाएगा। शेष अशमनीय भाग निर्माणकर्ता द्वारा स्वयं अपने व्यय पर छुटाया जाएगा, अन्यथा विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वसा किया जाएगा एवं उस पर होने वाला व्यय नियमानुसार निर्माणकर्ता से वसूल किया जाएगा।
8. शमन शुल्क नियम-5.2 के अन्तर्गत आरोपित शमन शुल्क की धनराशि निर्माणकर्ता द्वारा एकगुणत अथवा ब्याज सहित ऐसी किस्तों में जैरी विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाए, जमा की जाएगी तथा सम्पूर्ण धनराशि जमा हो जाने पर ही शमन की कार्यवाही पूर्ण मानी जाएगी। ब्याज सहित किस्तों की धनराशि के निर्धारण एवं जगा करने के सामन्य में विकास प्राधिकरण द्वारा पृथक से नियम बनाया जा सकता है।
9. शमन किए गए निर्माण का संहत विवरण शमन किए गए अवैध निर्माण के विवरण शमन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सारिणीबद्ध किए जाएंगे और उनका संहत विवरण विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में सूचनार्थ प्रतुत किया जाएगा।
10. शमन हेतु विचाराधीन आवेदनों का नियमानुसार भी इसी उपविधि के प्राविधानों के अधीन किया जाएगा।
11. नियम-5.2 के अन्तर्गत आरोपित शमन शुल्क तथा नियम-7 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा ध्वर्तीकरण की कार्यवाही पर किए गए व्यय की वसूली उ. प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-40 के अनुसार की जाएगी।

टिप्पणी:

- (1) आवेदक द्वारा शमन की सुविधा प्राप्त करने हेतु यदि विधिवत आवेदन नहीं किया जाता है, तो अवैध निर्माण के ध्वर्तीकरण हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
- (2) जहाँ अग्निशमन विभाग, पुरातात्व विभाग, एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इण्डिया, नेशनल हाई-वे अथारिटी ऑफ इण्डिया/लोक निर्माण विभाग, पर्यावरण निदेशालय, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आदि से अनापत्ति प्रणाली पत्र की आवश्यकता होगी, वहाँ उक्त अनापत्ति की प्राप्ति के उपरान्त ही शमन की कार्यवाही पर विचार किया जाएगा।
- (3) भूमि के मूल्य का आंकलन शमन मानचित्र स्वीकृति की तिथि को प्राधिकरण की प्रचलित आवासीय दर पर किया जाएगा; जहाँ यह दर उपलब्ध नहीं होगी वहाँ जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट लागू होगा। समस्त प्रकृति के निर्माण हेतु शमन शुल्क की गणना में भूमि की आवासीय दर ही ली जाएगी।
- (4) अनुसूची में अंकित दरों के अनुसार शमन शुल्क की गणना करते समय भूमि गूल्य एक बार अग्निवार्य रूप से लिया जाएगा, परन्तु प्रत्येक अनुकर्ता/उच्च तालों पर नहीं लिया जाएगा।
- (5) गिरित भू-उपयोग में शमनीय निर्माण हेतु शमन शुल्क उपयोग की प्रकृति के आधार पर देय होगा।

- (6) क्य-योग्य एफ.ए.आर. के लिए नियमानुसार देय शुल्क के अतिरिक्त अनुसूची के कंगांक-2 के अन्तर्गत निर्धारित दरों पर शगन शुल्क भी देय होगा। परन्तु प्रथम 10 प्रतिशत क्य-योग्य एफ.ए.आर. हेतु क्य-योग्य एफ.ए.आर. शुल्क देय नहीं होगा।
- (7) शमनीय एफ.ए.आर./क्य-योग्य एफ.ए.आर. के सापेक्ष नियमानुसार अतिरिक्त पार्किंग व्यवस्था का प्राविधान करना अनिवार्य होगा।
- (8) बेसमेन्ट में किए गए अवैध निर्माण का उपयोग भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में अनुमत्य उपयोग से भिन्न होने पर उसकी गणना एफ.ए.आर. में की जाएगी तथा अवैध निर्माण उपयोग की प्रकृति के आधार पर इस प्रतिबन्ध के साथ शगनीय होगा कि पार्किंग हेतु गानकों के अनुसार भूखण्ड के अन्दर व्यवस्था उपलब्ध हो।
- (9) रोट-बैंक क्षेत्र में शगनीय रीग्ना तक ही प्रोजेक्शन यथा छज्जा/बॉलकनी, आदि शगनीय होंगे।
- (10) अशगनीय भाग के ध्वरतीकरण हेतु शपथ पत्र के अनुसार यदि आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में अवैध निर्माण ध्वस्ता नहीं किया जाता है, तो निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा ध्वरतीकरण की कार्यवाही करके पक्ष से ध्वस्तीकरण का व्यय वसूल किया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि के अन्दर पक्ष द्वारा ध्वस्तीकरण व्यय का भुगतान नहीं किया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा उसकी वसूली भू-राजस्व बकाए की भाँति की जाएगी।
- (11) इस शगन उपविधि के लागू होने की तिथि से पूर्व शगन हेतु विवाराधीन प्रकरणों का निरस्तारण पूर्व में प्रभावी विकास प्राधिकरण शमन उपविधि के प्राविधानों के अधीन सुनिश्चित किया जाएगा।

आज्ञा से,

संलग्नक: अनुसूची

(अरुण कुमार सिन्हा)
प्रगुरुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को इस अम्युक्ति के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को साधारण गजाट में दिनांक जनवरी, 2010 के अंक में प्रकाशित कराने तथा अधिसूचना की 100 (रु०) गुण्डित प्रतियों शारान को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(राम निरंजन)
अनु सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निगनलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- प्रगुरुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन।
- अध्यक्ष, सागरत विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
- आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद।
- उपाध्यक्ष, सागरत विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
- अध्यक्ष, रागरत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
- समस्त नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- गुरुद्वय नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- सागरत गुरुद्वय अग्नि शगन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

9. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
10. अपर निदेशक, आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत उपविधि को सर्व सम्बन्धितों को प्रेषित कराने के साथ-साथ इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के बैंकसाइट पर अपलोड भी कराने का कष्ट करें।

आङ्गा से,

(राम निरंजन)
आङ्ग सचिव

शगन शुल्क की अनुसूची (नियम संख्या-4)

क्र. सं.	विर्माण की प्रकृति	विभिन्न ग्रूप उपयोगों हेतु शगन शुल्क की दरें				
		आवारीय	व्यवरायिक	कार्यालय	औद्योगिक	सुविधाएं/अन्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	अनुमन्य भू-आधारित एवं तल थेट्र अनुपात के अन्तर्गत विना अनुमति निर्गाण करने पर	1.1 100 वर्ग मी तक के भूखण्डों पर सभी प्रकृति के निर्गाण हेतु रु. 10 प्रति वर्ग मी. 1.2 101-300 वर्ग. मी. के भूखण्डों पर सभी प्रकृति के निर्गाण हेतु रु. 15 प्रति वर्ग. मी. 1.3 301-500 वर्ग. मी. के भूखण्डों पर सभी प्रकृति के निर्गाण हेतु रु. 20 प्रति वर्ग. मी. 1.4 501-2000 वर्ग. मी. के गूँहण्डों पर सभी प्रकृति के निर्गाण हेतु रु. 25 प्रति वर्ग. मी. 1.5 2000 वर्ग. मीटर से अधिक क्षेत्रफल/गूँप हाउसिंग भूखण्डों पर सभी प्रकृति के निर्गाण हेतु रु. 25 प्रति वर्ग. मी. 1.6 अनुमन्य इकाइयों से अतिरिक्त शमनीय इकाइयों पर रु. 50,000 प्रति इकाई।	आवारीय का दो गुना	आवारीय का 1.5 गुना	आवारीय का 0.10 गुना	आवारीय का 0.50 गुना
			तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
			तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
			तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
			तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
			-	-	-	-

2. अनुमन्य गू—आच्छादन के भूखण्डीय विकास एवं ग्रुप हाउसिंग—दोनों प्रकृति अन्तर्गत अतिरिक्त तल के निर्माण में रु. 200 प्रति वर्ग. मी. तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र (एफ.ए.आर.) पर तल क्षेत्र हेतु वांछित गूणि गूल्य का 50 प्रतिशत।

रु. 400 प्रति वर्ग. मी. तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र हेतु वांछित गूणि गूल्य का 100 प्रतिशत	रु. 300 प्रति वर्ग. मी. तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र हेतु वांछित गूणि गूल्य का 75 प्रतिशत	रु. 150 प्रति वर्ग. मी. तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र हेतु वांछित गूणि गूल्य का 40 प्रतिशत	रु. 150 प्रति वर्ग. मी. तथा अतिरिक्त तल क्षेत्र हेतु वांछित गूणि गूल्य का 50 प्रतिशत
---	--	--	--

3. अनुमन्य भू—आच्छादन से अतिरिक्त गू—आच्छादन—पर

(क) ग्रुप हाउसिंग एवं गूणि गूल्य का 100 प्रतिशत अन्य बहुमंजिले भवनों में प्रत्येक दिशा में

गूणि गूल्य का 200 प्रतिशत	गूणि गूल्य का 150 प्रतिशत	गूणि गूल्य का 40 प्रतिशत	गूणि गूल्य का 50 प्रतिशत
---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------

(ख) गूरुखण्डीय विकास

(1) फॉन्ट सेट बैक गूणि गूल्य का 100 प्रतिशत गे

गूणि गूल्य का 200 प्रतिशत	गूणि गूल्य का 150 प्रतिशत	गूणि गूल्य का 40 प्रतिशत	गूणि गूल्य का 50 प्रतिशत
---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------

(2) पार्श्व (राइड) सेट बैक गूणि गूल्य का 75 प्रतिशत गे

गूणि गूल्य का 150 प्रतिशत	गूणि गूल्य का 100 प्रतिशत	गूणि गूल्य का 40 प्रतिशत	गूणि गूल्य का 50 प्रतिशत
---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------

(3) पीछे के सेट बैक गूणि गूल्य का 50 प्रतिशत बैक में

गूणि गूल्य का 100 प्रतिशत	गूणि गूल्य का 75 प्रतिशत	गूणि गूल्य का 20 प्रतिशत	गूणि गूल्य का 25 प्रतिशत
---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

अनुमन्य सीमा से भूणि गूल्य का 50 प्रतिशत अतिरिक्त बेरागेन्ट के निर्माण पर

गूणि गूल्य का 100 प्रतिशत	गूणि गूल्य का 75 प्रतिशत	गूणि गूल्य का 20 प्रतिशत	गूणि गूल्य का 25 प्रतिशत
---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

5.	कमरे की आनारिक कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 100 प्रति व. गी. ऊंचाई न्यूनतम निर्धारित ऊंचाई से कम होने पर	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 200 प्रति व. गी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 150 प्रति व. गी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 50 प्रति व. गी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 75 प्रति व. गी.
6.	कमरे की ऊँचाई कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 50 प्रति व. गी. न्यूनतम निर्धारित ऊँचाई रो कम होने पर	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 100 प्रति व. गी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 75 प्रति व. गी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 20 प्रति व. गी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 25 प्रति व. गी.
7.	कमरे का दोत्रफल कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 50 प्रति व. गी. यिहि क्षेत्रफल रो कम होने पर	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 100 प्रति व. गी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 75 प्रति व. गी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 20 प्रति व. गी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 25 प्रति व. गी.
8.	कमरे में प्रकाश तथा कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 50 प्रति व. गी. सवातग की व्यवस्था यिहि क्षेत्रफल से कम होने पर	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 100 प्रति व. गी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 75 प्रति व. गी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 20 प्रति व. गी.	कमरे के क्षेत्रफल पर रु. 25 प्रति व. गी.
9.	कगपालन्ड यात्र की रु. 50 प्रति रनिंग गीटर परन्तु न्यूनतम रु. ऊँचाई निर्धारित ऊँचाई 5.000/- से अधिक होने पर	रु. 100 प्रति रनिंग गीटर परन्तु न्यूनतम रु. 7,500/- 10,000/-	रु. 150 प्रति रनिंग गीटर परन्तु न्यूनतम रु. 1,000/-	रु. 20 प्रति रनिंग गीटर परन्तु न्यूनतम रु. 1,000/-	रु. 25 प्रति रनिंग गीटर परन्तु न्यूनतम रु. 2,500/-
10.	बिना रवीकृपा विकय-योग्य क्षेत्रफल पर गूमि मूल्य का गूमि विगाजन/ निकास 1.0 प्रतिशत कार्य जो भवग उपविधि के अनुरूप हो	विकय-योग्य क्षेत्रफल पर गूमि गूल्य का 2.0 प्रतिशत	विकय-योग्य क्षेत्रफल पर गूमि गूल्य का 1.5 प्रतिशत	विकय-योग्य क्षेत्रफल पर गूमि मूल्य का 0.40 प्रतिशत	विकय-योग्य क्षेत्रफल पर गूमि मूल्य का 0.50 प्रतिशत

11. एक एकड़ रो अधिक उप विभाजित गूखण्ड के अन्तर्गत सड़क, पार्क एवं खुले स्थल तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं हेतु नियमों के का गू-विभाजन जिसकी अनुसार वाहित दोब्रफल में की गयी कमी के समतुल्य भूमि मूल्य का दो-गुना शमन शुल्क लिया जायेगा।
रवीकृति नियमानुसार
अनुमत्य न हो।
12. एक एकड़ रो अधिक ऐसे प्रकरणों में शासन द्वारा जारी अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण की गाइडलाइन्स के अनुसार कार्यवाही की का गू-विभाजन जिसकी जायेगी।
स्वीकृति नियमानुसार
अनुमत्य न हो।

टिप्पणी :

- (1) उक्त प्रकृति के निर्गाणों के अतिरिक्त अन्य अवैध निर्गाण जो उपविधि अथवा निर्देशों के विपरीत हो अथवा जिराकी रवीकृति न दी गई हो (गथा-पोर्च, बालकनी, छज्जो, आदि) परन्तु शमनीय हो, पर रु. 200/- प्रति वर्ग मीटर की दर रो शमन शुल्क लिया जाएगा। व्यवसायिक हेतु इसकी दरें दोगुनी, कार्योलय हेतु 1.5 गुना, औद्योगिक हेतु 0.10 गुना, सुविधाएं एवं अन्य उपयोगों में 0.50 गुना होगी।
- (2) गाहायोजना जोनिंग रेग्युलेशन्स के अनुसार 'सामान्यतः' एवं 'साशर्त अनुमत्य' कियाओ/उपयोगों के शमन हेतु नियमानुसार देय प्रभाव शुल्क के अतिरिक्त प्रभाव शुल्क का दस प्रतिशत शुल्क भी देय होगा।
- (3) वैरिटेबल संस्थाएं जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-80 (पी) के अन्तर्गत छूट प्राप्त हो तथा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्राविधानित सुविधाओं एवं सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं हेतु शमन शुल्क की दर आनासीय दर की 50 प्रतिशत होगी।
- (4) गूखण्डीय विकास गे तलों की संख्या परिवर्तित किये विना भवन की ऊचाई अनुग्रन्थ ऊचाई से 10 प्रतिशत तक अधिक होने की दशा में रु. 2500/- प्रति मीटर ऊचाई की दर रो शमन शुल्क देय होगा।

- (5) अनधिकृत निर्माण के शगन हेतु जो दरे भूमि गूल्य पर आधारित नहीं है, अर्थात् प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निर्धारित है, को प्रत्येक वर्ग 'कास्ट इन्डेक्स' के आधार पर प्राधिकरण द्वारा अद्यावधिक किया जायेगा।

(राम निरंजन)
अनु सचिव